

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 5410-11/17

भवन निर्माण अनुमति पत्र

दिनांक 01/09/17

मै0 शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0

पता:- ऑफिस नं0 207 जे.एम.डी. गलेरिया

सोहना रोड गुडगावां हरि0

विषय:- मै0 शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व0 श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरचिड फ्लैट सैक्टर 49 गुडगावां हरि0 द्वारा ग्राम थडा तह0 तिजारा के ख0न0 302, 304, 214, 215, 216, 217, 218, 225 कुल 08 कुल रकबा 35290.21 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय परियोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2017

आपका आवेदन दिनांक 07.02.2017 द्व मै0 शिल्पकार हाउसिंग प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अजय जिन्दल पुत्र स्व0 श्री पुरुषोत्तम गुप्ता निवासी 801 टावर 12 ओरचिड फ्लैट सैक्टर 49 गुडगावां हरि0 द्वारा ग्राम थडा तह0 तिजारा के ख0न0 302, 304, 214, 215, 216, 217, 218, 225 कुल 08 कुल रकबा 35290.21 वर्ग मी0 भूमि का आवासीय परियोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र हेतु प्राप्त हुये है। उक्त भवन मानचित्रो को भवन मानचित्र समिति की 57वी बैठक दिनांक 07.04.2017, में लिये गये निर्णयानुसार अनुमोदन कर भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, मूल स्वीकृति से अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी तथा पूर्व स्वीकृति की समस्त शर्तें मान्य होगी।
02. प्रस्तुत मानचित्रों अनुसार विकासकर्ता के आवासीय परियोजना को केवल प्रस्तावित 45 मी0 सडक से ही पहुँच उपलब्ध हैं वर्तमान में कोई पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः मास्टर प्लान की प्रस्तावित 45 मी0 सडक का निर्माण नहीं होने तक आवासीय परियोजना के पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित 60 मी0 सडक से 45 मी0 सडक हेतु समर्पित भूमि में से परियोजना हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना होगा।
03. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं भवन विनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
04. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
05. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
06. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
07. न्यास की अभियान्त्रीकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
08. प्लिन्थ लेवल तक निर्माण की सूचना पंजीकृत वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेंगे। सही निर्माण पाए जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित/प्रस्तुत मानचित्र (13.4 व 13.5 के प्रावधान में आने वाले प्रकरणों के लिए प्रस्तुत मानचित्र) के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।
09. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

11. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
13. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे मानचित्र में दर्शाये अनुसार भू-तल का उपयोग किया जावेगा।
14. भवन विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप विकासकर्ता द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान, अग्नि शमन हेतु प्रावधानों, विकलांगों हेतु प्रावधान आदि की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
15. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
16. भूखण्डों पर निर्माण हेतु स्वीकृत साईट प्लान के अनुरूप सैट बेक्स व अन्य प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
17. भूखण्ड में आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, सेप्टिक टैंक, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि का प्रावधान किये जाने की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
18. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
19. अधिवास प्रमाण-पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
20. पार्किंग का प्रावधान भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे।
21. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे तथा इस बाबत संबंधित विभाग से अग्नि शमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
22. EWS हेतु 48 एवं LIG हेतु 40 कुल 88 प्लेट प्रस्तावित किये गये हैं। इन ईकाईयो का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 जारी निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार किया जावेगा।
23. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
24. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
25. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
26. विकासकर्ता द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
27. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
28. नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक F.18(56)UDH/Sub-Group/2015 Date 09-03-2017 के अनुसार परियोजना में सभी भवनों/ब्लॉक्स में Green Roof Top रखा जाना एवं Eco-friendly भवनों हेतु प्रावधान रखा जाना पर्यावरण की दृष्टि से उचित होगा। जिसकी पालना विकासकर्ता को करनी होगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।


वरि० नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

संलग्न:- भवन मानचित्र ()

क्रमांक: आयोजना/

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक:

वरि० नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

S.NO	PARTICULARS	SQ.MT.
1	TOTAL PLOT AREA AS PER REVENUE	47500.00
2a	TOTAL PLOT AREA AS PER SURVEY	47485.97
2b	TOTAL PLOT AREA	47485.97
2c	AREA SURRENDERED IN ROAD WIDENING IN 60.0 M AND 45.0 M WIDE ROAD	6267.71
2d	AREA SURRENDERED IN 12.0 M WIDE NALA AREA	134.37
	AREA SURRENDERED IN FACILITIES	2054.19
3	COMMERCIAL AREA	3739.49
4	REMAINING PLOT AREA (47485.97-6267.71-134.37-2054.19-3739.49)	35290.21
5	NET PLOT AREA	35290.21
6	PERM. GROUND COVG. = 35% OF NET PLOT AREA = 35290.21 X 35%	12351.57
7	PROPOSED GROUND COVERAGE (19.94 %)	7038.74
8	REQUIRED 20% AREA UNDER GREEN (BECAUSE OF PODIUM) 15% PODIUM +5% ON SURFACE	7058.04
9	PROPOSED AREA UNDER GREEN PODIUM+ SURFACE = 6399.13 (15.30%) + 2682 (7.6%)	8081.13 (22.90%)
10	F.A.R. CALCULATIONS	
10a	BASIC PERMISSIBLE F.A.R.(1.33) = 1.33 X 35290.21	46935.98
10b	F.A.R. FOR AREA UNDER SURR. LAND = 6267.71	6267.71
10c	F.A.R. IN LIEU OF EWS/LIG CONST. (0.5) =0.5 X 35290.21	17645.11
10d	TOTAL PERMISSIBLE F.A.R.	70848.80
10e	PERMISSIBLE COMMERCIAL FAR. (3% OF TOTAL PER. FAR.)	2125.46
10e	PERMISSIBLE RESIDENTIAL FAR.	68723.34

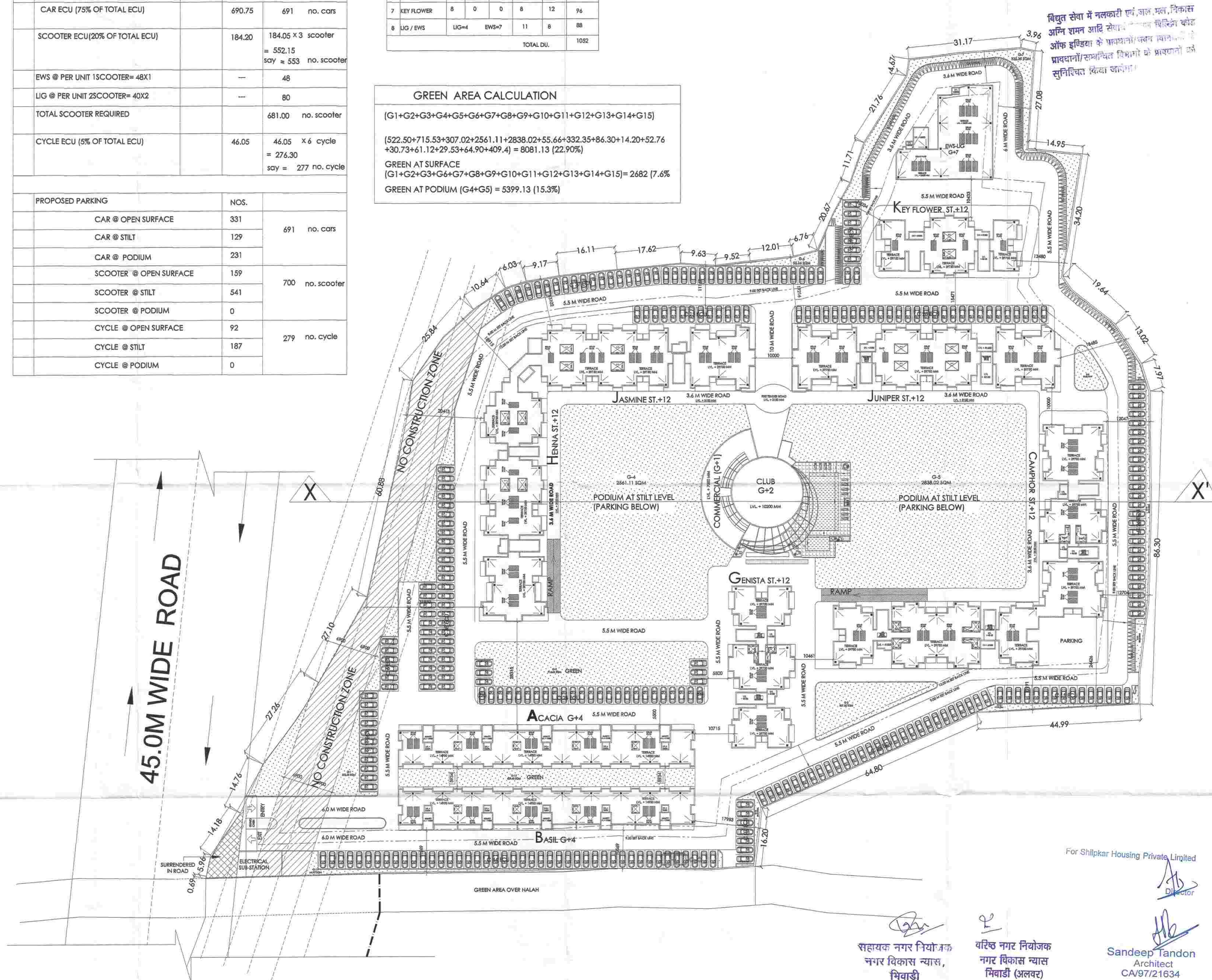
11	PROPOSED F.A.R	
11a	F.A.R. AREA OF TOWER -ACASIA	3378.40
11b	F.A.R. AREA OF TOWER -BASIL	3378.40
11c	F.A.R. AREA OF TOWER HENNA-JASMINE	15588.35
11d	F.A.R. AREA OF TOWER JUNIPER	9060.29
11e	F.A.R. AREA OF TOWER CAMPHOR	14038.80
11f	F.A.R. AREA OF TOWER GENISTA	5332.56
11g	F.A.R. AREA OF TOWER KEY FLOWER	3987.53
11h	TOTAL PROPOSED RESIDENTIAL FAR OF TOWERS	54764.33
12b	F.A.R. AREA OF COMMERCIAL BLOCK	300.95
12c	TOTAL PROPOSED FAR. AREA	55065.28
14	L.I.G / E.W.S CALCULATIONS	
14a	TOTAL REQUIRED AREA FOR LIG/EWS = 7.5% of RESID.FAR	4107.32
14b	TOTAL PROPOSED AREA FOR LIG/EWS	4186.24
15	FACILITY AREA CALCULATIONS	
15a	TOTAL ALLOWED FACILITY AREA = 5% of TOTAL FAR.	2738.22
15b	TOTAL PROPOSED FACILITY AREA	731.24

16	PARKING CALCULATION	FAR.	ECU	NO\$
A	RESIDENTIAL FAR/75	54764.33	730.19	
B	COMMERCIAL FAR/50	300.95	6.02	
C	TOTAL ECU		736.21	
D	VISITOR PARKING 25%		184.05	
	TOTAL REQUIRED ECU		920.26	say ≈ 921 ECU
	CAR ECU (75% OF TOTAL ECU)		690.75	691 no. cars
	SCOOTER ECU(20% OF TOTAL ECU)		184.20	184.05 x 3 scooter = 552.15 say ≈ 553 no. scooter
	EW\$ @ PER UNIT 1SCOOTER= 48X1		---	48
	LIG @ PER UNIT 2SCOOTER= 40X2		---	80
	TOTAL SCOOTER REQUIRED			681.00 no. scooter
	CYCLE ECU (5% OF TOTAL ECU)		46.05	46.05 x 6 cycle = 276.30 say = 277 no. cycle

	PROPOSED PARKING	NOS.	
	CAR @ OPEN SURFACE	331	691 no. cars
	CAR @ STILT	129	
	CAR @ PODIUM	231	
	SCOOTER @ OPEN SURFACE	159	700 no. scooter
	SCOOTER @ STILT	541	
	SCOOTER @ PODIUM	0	
	CYCLE @ OPEN SURFACE	92	279 no. cycle
	CYCLE @ STILT	187	
	CYCLE @ PODIUM	0	

DWELLING UNIT CALCULATION						
NO. TOWER	NO. OF DU/FLOOR			TOTAL NO. OF DU/FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
1 ACASIA	0	10	0	10	5	50
2 BASIL	0	10	0	10	5	50
3 HANNA-JASMINE	24	4	0	28	12	336
4 JUNIPER	12	4	0	16	12	192
5 CAMPHOR	0	10	4	14	12	168
6 GENISTA	0	6	0	6	12	72
7 KEY FLOWER	8	0	0	8	12	96
8 UG / EWS	UG=4 EWS=7			11	8	88
TOTAL DU.						1052

(G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13+G14+G15)
(522.50+715.53+307.02+256.11+2838.02+55.66+332.35+86.30+14.20+52.76
+30.73+61.12+29.53+64.90+409.4) = 8081.13 (22.90%)
GREEN AT SURFACE
(G1+G2+G3+G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13+G14+G15) = 2682 (7.6%
GREEN AT PODIUM (G4+G5) = 5399.13 (15.3%)



नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
वि. न्यास २००० की धारा ८.१५ के
द्वारा न्यास को नगर कांजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा ३० दि०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के पिल्द
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास बोर्ड, पिबोडी गवन
विशेष 2900 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार आर्थिक रूप से
विकासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित
गवन से विशेष प्रबंधन उत्तरा जावे
अन्वया न हो जावे द्वारा गवन निर्मित के
विशेष विचारगिराई कांदाहो की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, विकास
अग्नि शमन आदि सेवाएँ प्रदान करिहोगे कोई
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/क़ानून प्रावधानों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों एवं
सन्निश्चित किया जाना।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राबत सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अन्तर्गत 2009-10 वर्षी सीट से अधिक का निर्माण प्रमाण के रूप में पूर्ण "वर्केशन प्रमाण पत्र" अनापति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दाख किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

**Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.**

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) को दृष्टिपूर्वक प्रतीति का ही होगा।"

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 7-4-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 112-4-17

For Shilpkar Housing Private Limited

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO
an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in Web : www.aestudio.in



	DRAWN BY: PANKAJ	DRAWING TYPE:	SHEET NO.: 
	CHECKED BY: SANDEEP	SUB.	
SCALE:	N.T.S.	DRAWING NAME: FINAL SITE PLAN SUBMISSION	
PROJECT NO.: 231	DATE: 15/07/2017	FILE LOCATION: Z:\BIDDEN DATA\Project\TO SENKETO SHED MAIN DATA	

THIS DRAWING IS A "COPYRIGHT" OF THE ARCHITECT AND SHOULD NOT BE CHANGED,
COPIED, REPRODUCED OR USED FOR ANY OTHER PURPOSE OR PROJECT OTHER THAN
FOR WHICH IT IS ISSUED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE ARCHITECT

CLIENT: M/S CITY LIFE SPACES PVT. LTD, N. DELHI
M/S SHILPKAR HOUSING PVT. LTD

DRAWING TITLE: SITE PLAN

BUILDING FLOOR / BLOCK

NOTES -

READ THIS DRAWING IN CONJUNCTION WITH OTHER DRAWINGS FOR THIS PROJECT.
DO NOT SCALE THIS DRAWING, ONLY WRITTEN DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED.
DISCREPANCY IF ANY MUST BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT IMMEDIATELY.

PROJECT: HOUSING AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

S.NO.	DATE	DRAWN BY
-------	------	----------

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशंगगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 स्क्व मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण, प्रमाण पत्र" अनापति प्रमाण पत्र अपेक्षक द्वारा प्राप्त किया जल्द अतिवर्त होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

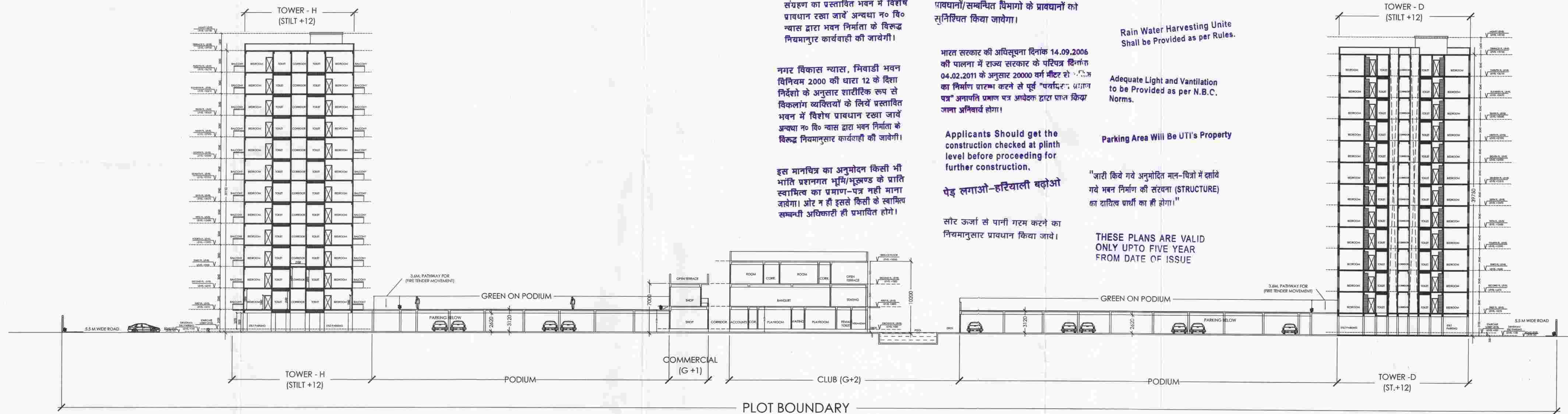
Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

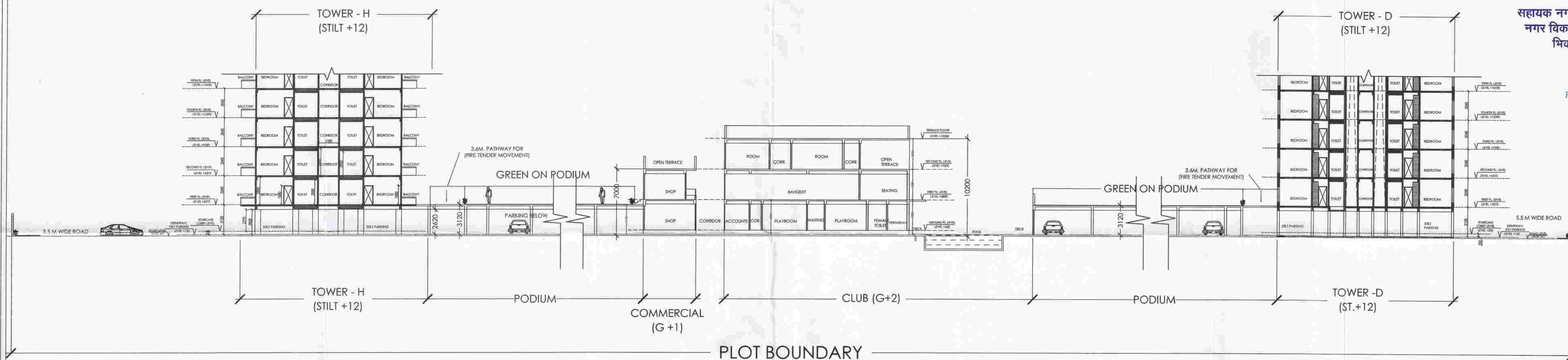
"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व धार्या का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE



SECTION - XX'

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 7-4-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 5110/17 dt. 9-7-17



SECTION - XX' (BLOWUP)

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Owner

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

SITE SECTION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in , Web: www.aestudio.in

SHEET NO :

3A
35

DATE :

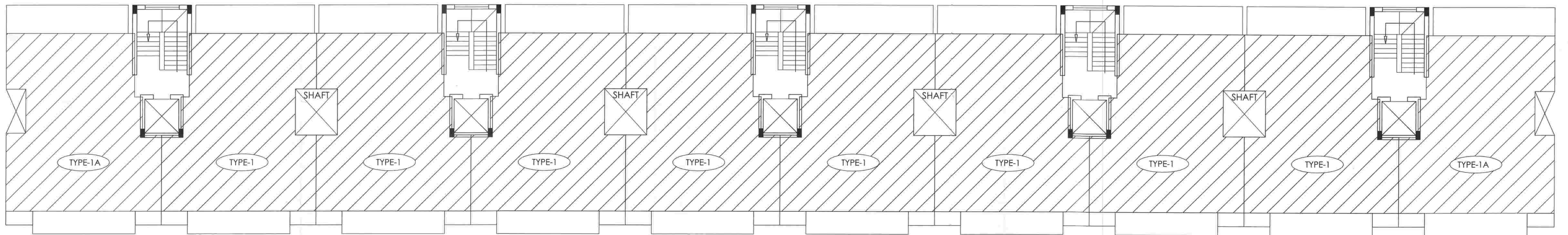
10/02/2017

PROJECT NO.:

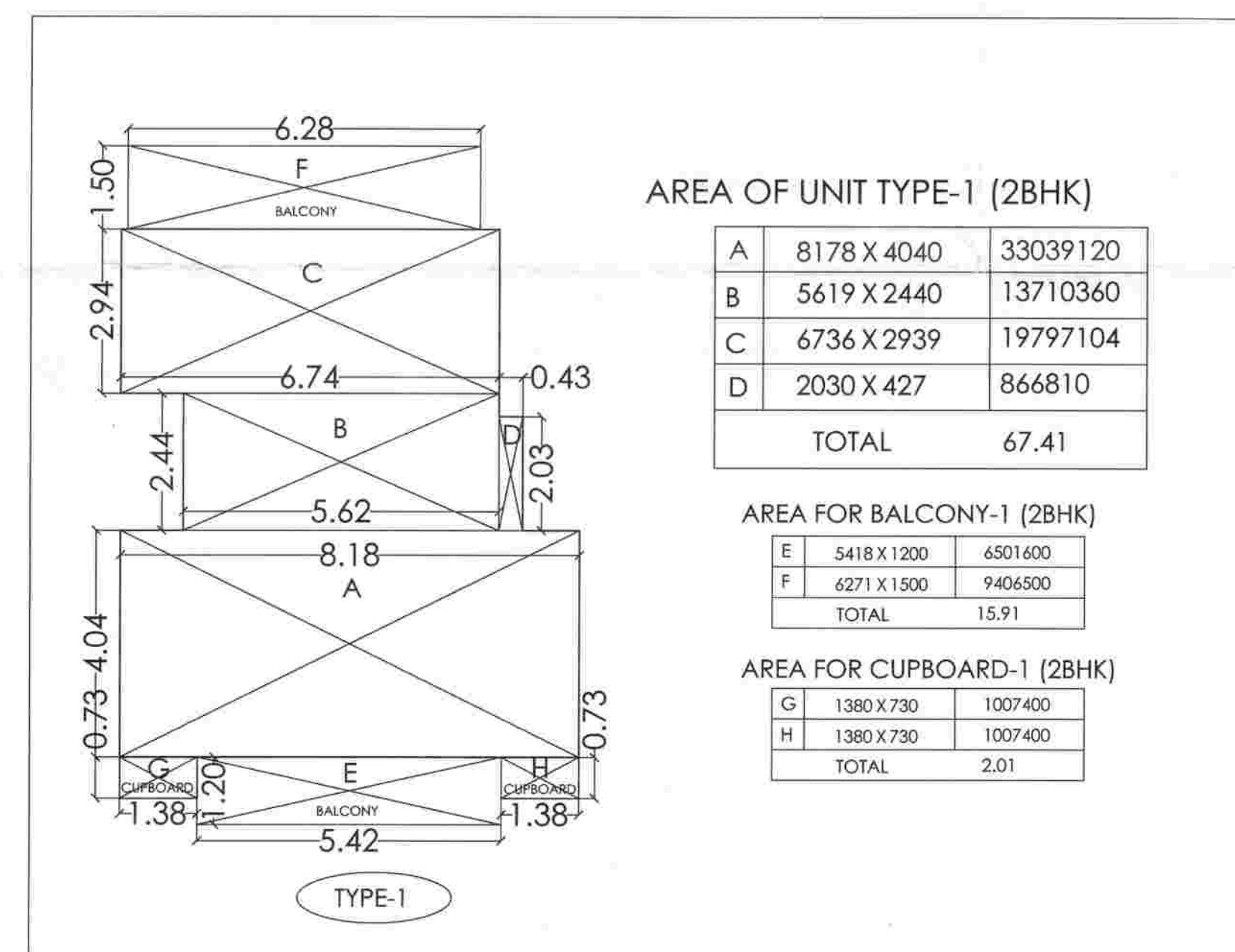
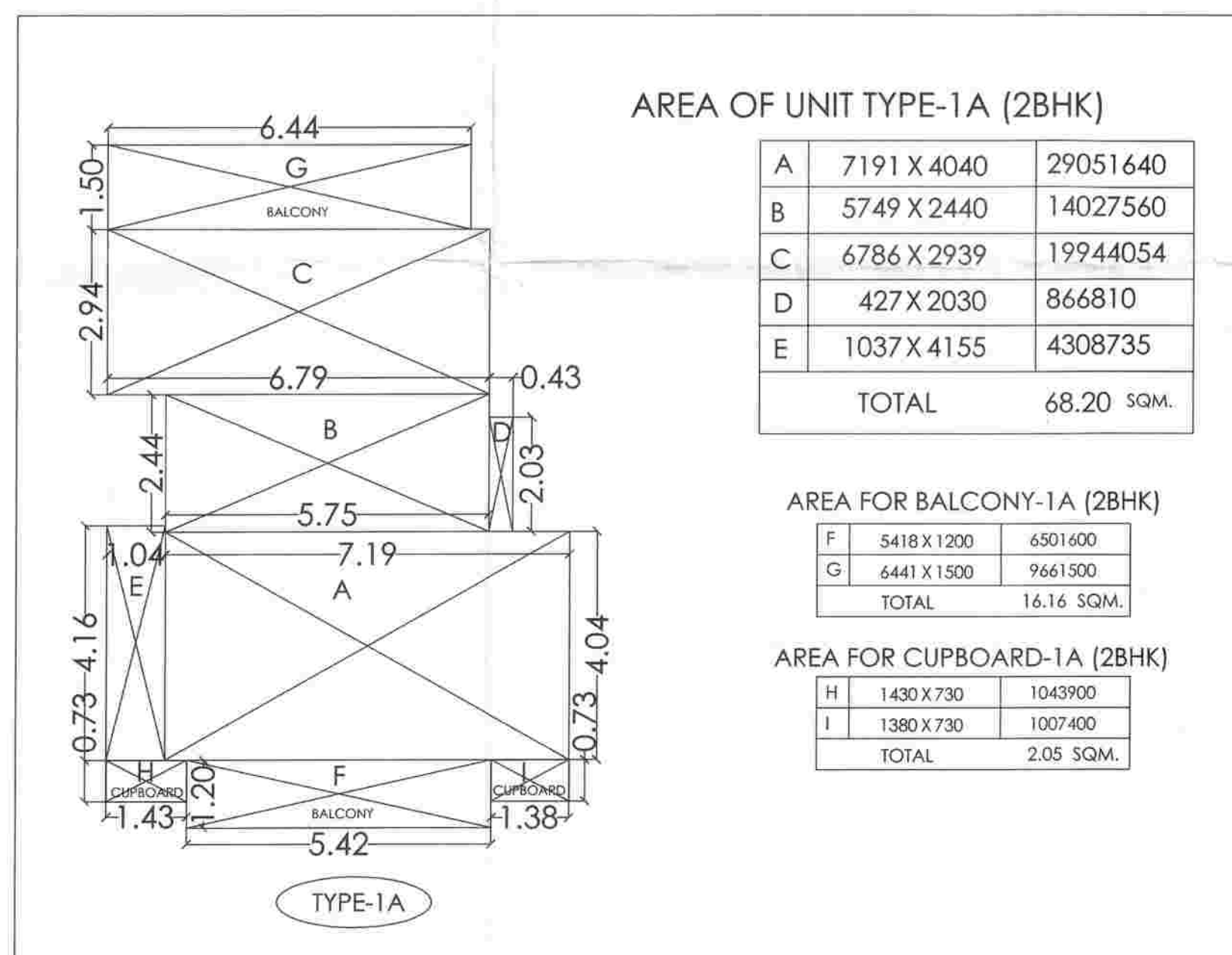
231

NORTH :





TYPICAL FLOOR PLAN



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुर कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशस्तित भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 14.09.2006
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 5110/117 Dt. 14.09.17

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, निकास आदि श्रमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules,

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.,
Norms.

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाबे
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व धार्य का ही होगा।"

Parking Area Will Be UTI's Property

For Shilpkar Housing Private Limited
Director

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER ACACIA AREA CALCULATIONS

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO
an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

3
OF
34

DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

231

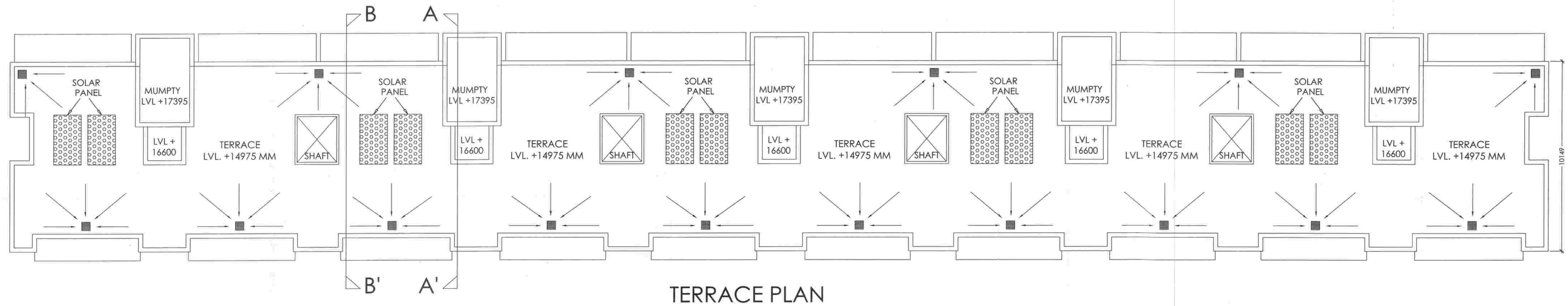
NORTH :



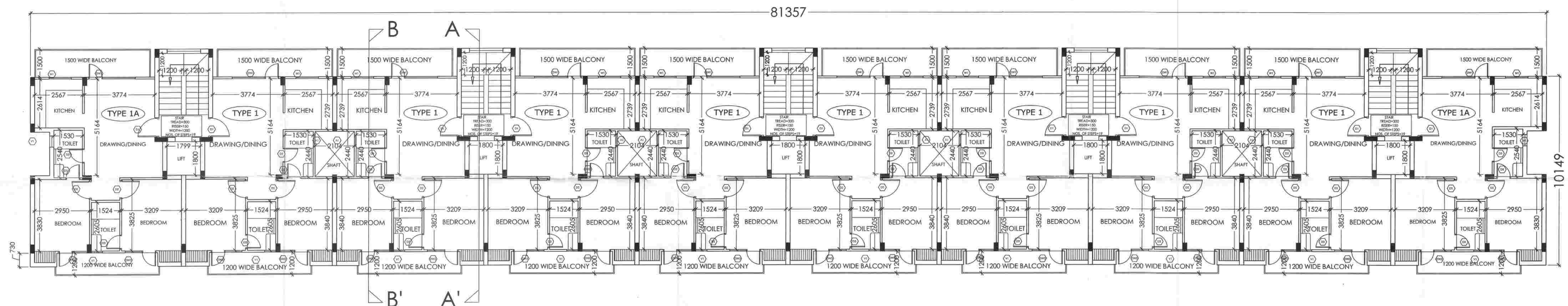
AREA OF TOWER- A (GROUND Floor - 4th Floor)	
	AREA PER FLOOR (P) = 8 X AREA OF UNIT TYPE 1 (2BHK) + 2 X AREA OF UNIT TYPE- 1A (2BHK)
1.	AREA PER FLOOR (P) = 8 X 67.41 + 2 X 68.20 = 675.68 SQ M.
2.	TOTAL FAR. AREA = 675.68 X 5 FLOOR = 3378.40 SQ M.
3.	AREA OF BALCONY PER FLOOR (R) = 159.60 SQ M.
4.	AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 20.18 SQ M.
5.	TOTAL BUA. PER FLOOR = 675.68 + 159.60 + 20.18 = 855.46 SQ M.
6.	TOTAL BUA. AREA = 855.46 X 5 FLOOR = 4277.30 SQ M.

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)



TERRACE PLAN



TYPICAL FLOOR PLAN (G + 4)

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा नो वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निचयानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशस्ति प्राप्त भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वांये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ती का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

DWELLING UNIT CALCULATION

NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
1 ACASIA	0	10	0	10	5	50

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 14-11-17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 5410-11/17-41-9-17

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

SHEET NO :

4
OF
34

DATE :
15-07-2017

PROJECT NO.:
231

NORTH :



For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER ACACIA FLOOR PLANS

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in



अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णजल संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशंगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में गलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेक हास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

BACK ELEVATION

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दशाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

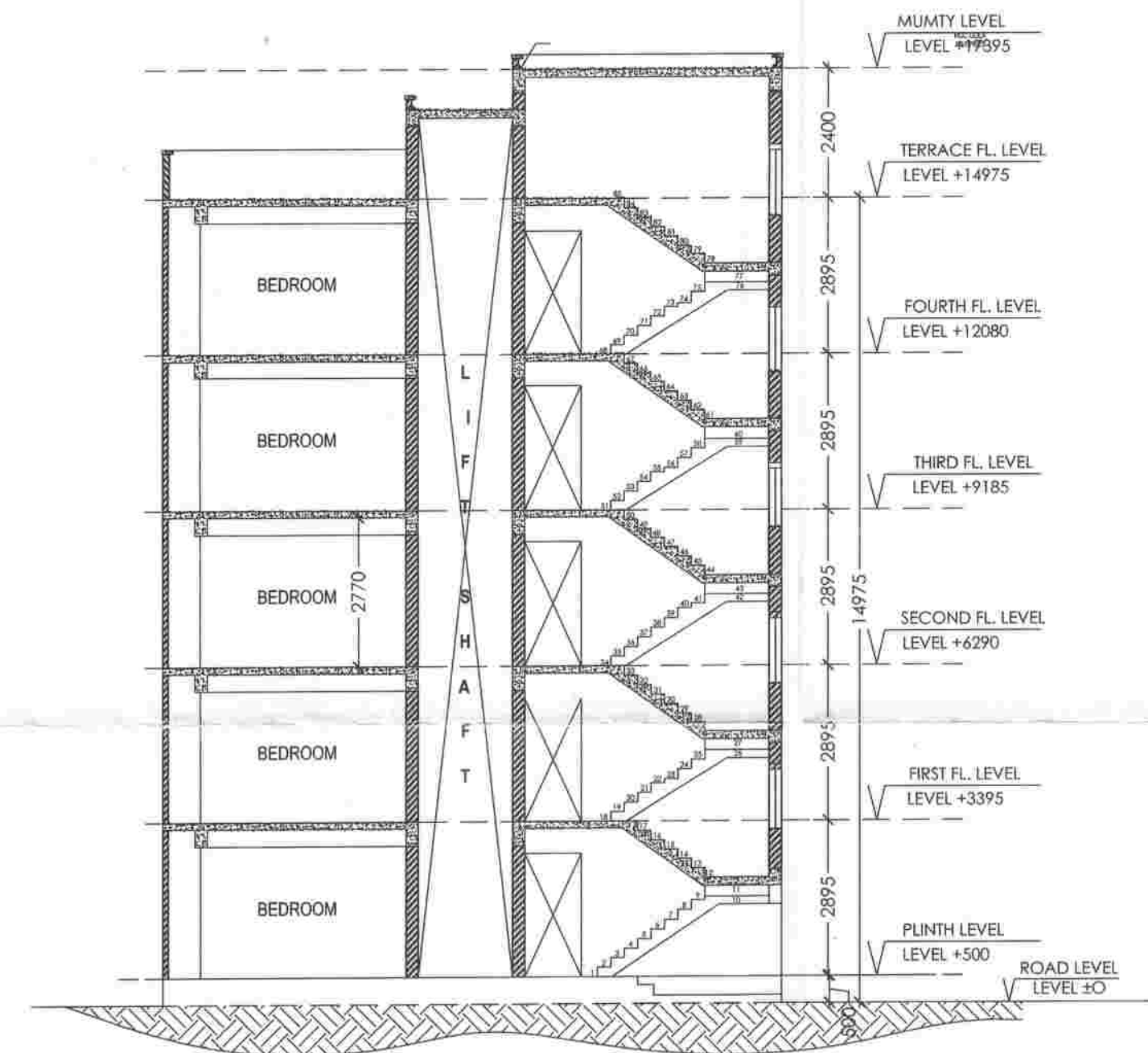
Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

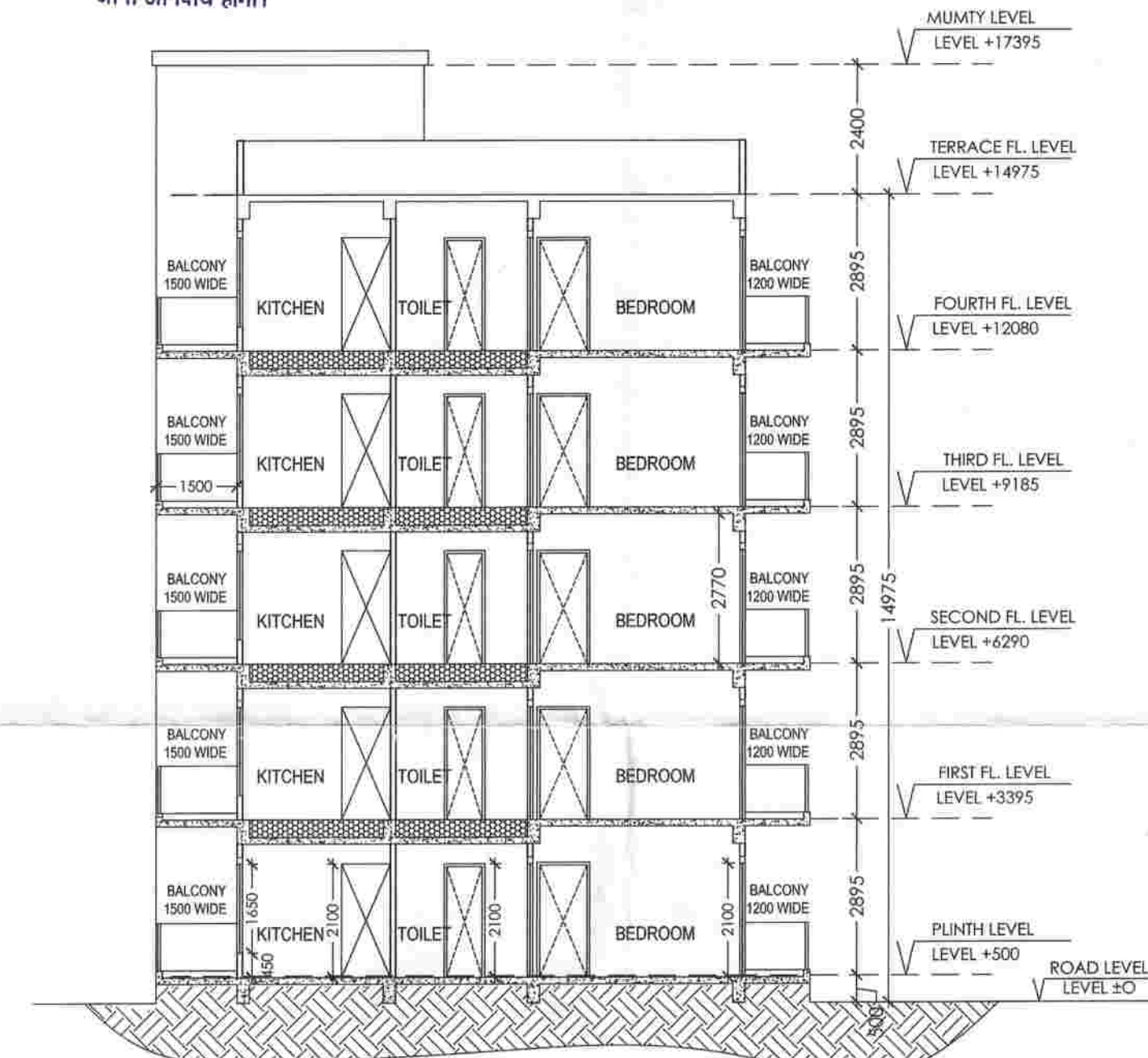
In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 14.09.2006 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 5110-11117 Dt. 14.09.2006

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

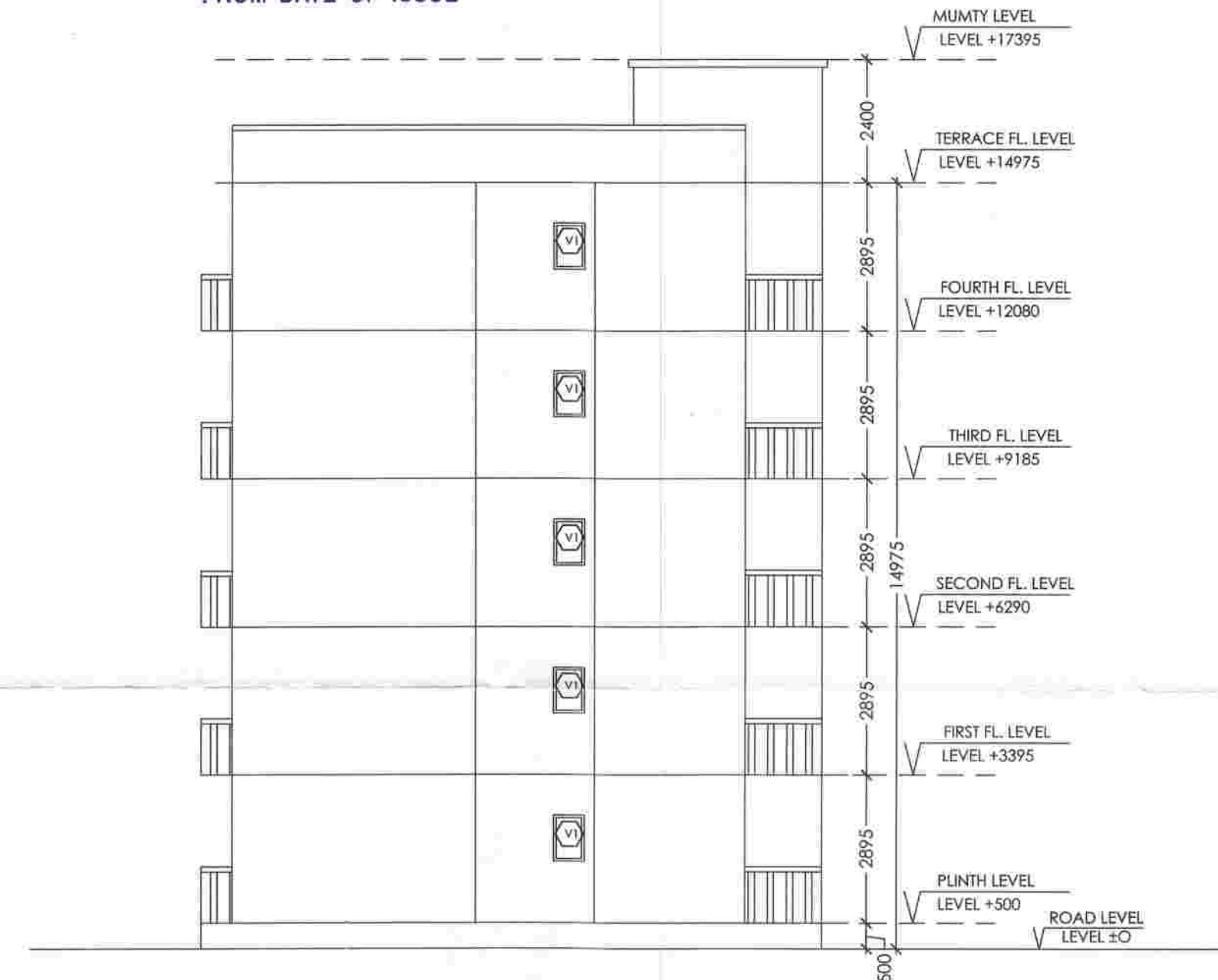
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)



SECTION AA'



SECTION BB'



RIGHT ELEVATION

For Shilpkar Housing Private Limited Signature of Owner	Sandeep Tandon Architect CA/97/21634 Signature of Architect	
ADDRESS : PROPOSED GROUP HOUSING FOR M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217, 218, 225 AT VILLAGE - THADA TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)		
SHEET TITLE : TOWER ACACIA SECTION & ELEVATION		
ARCHITECTS AND CONSULTANTS AE STUDIO an architectural design studio B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136 E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in		
SHEET NO : 5 OF 34	DATE : 15-07-2017 PROJECT NO.: 231	NORTH :

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भिन्न प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखना जरूरी अन्यथा नगर न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

A	7.01	X2.40	16.82
B	5.96	X3.00	17.88
C	12.31	X2.10	25.85
D	3.52	X1.50	5.28
E	10.50	X2.10	22.05
F	3.52	X1.50	5.28
G	5.31	X2.10	11.15
H	3.18	X3.00	9.54
I	---		1.45
J	---		15.26
K	---		1.7
L	2.10	X9.38	19.70
M	1.50	X3.52	5.28
N	2.10	X5.31	11.15
O	3.00	X4.36	13.08
P	5.31	X2.10	11.15
Q	1.50	X3.52	5.28
R	2.10	X12.31	25.85
S	3.00	X5.81	17.43
T	2.40	X7.01	16.82
	TOTAL		258.00

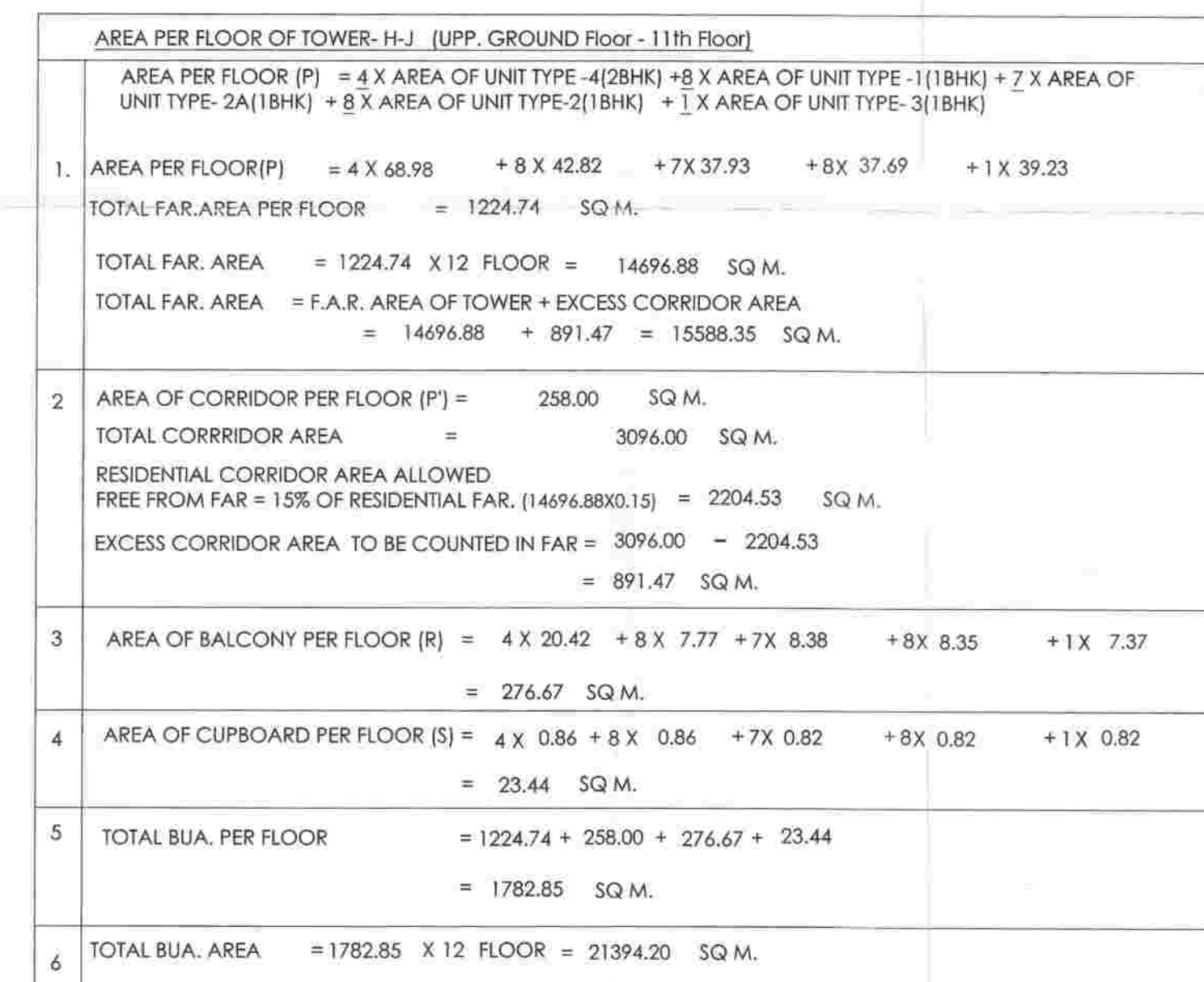
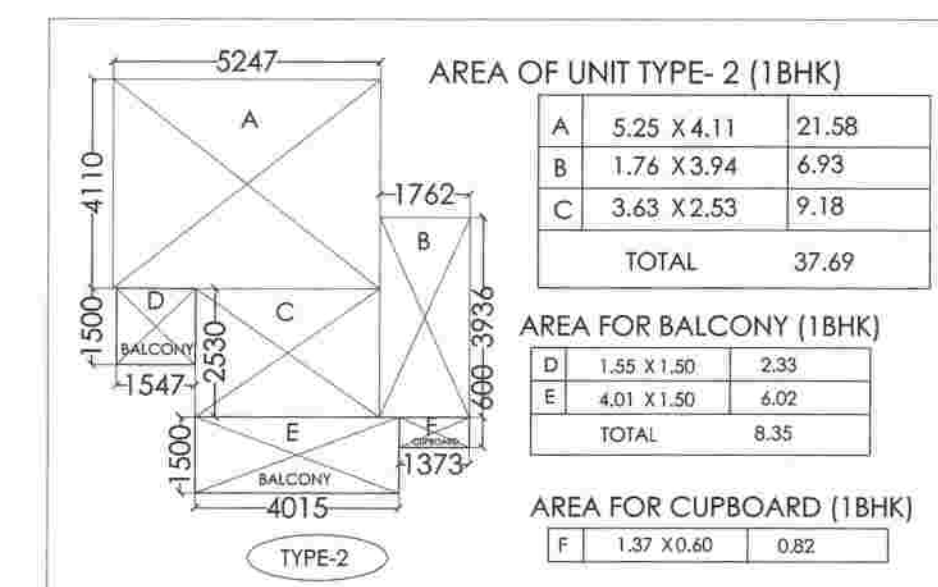
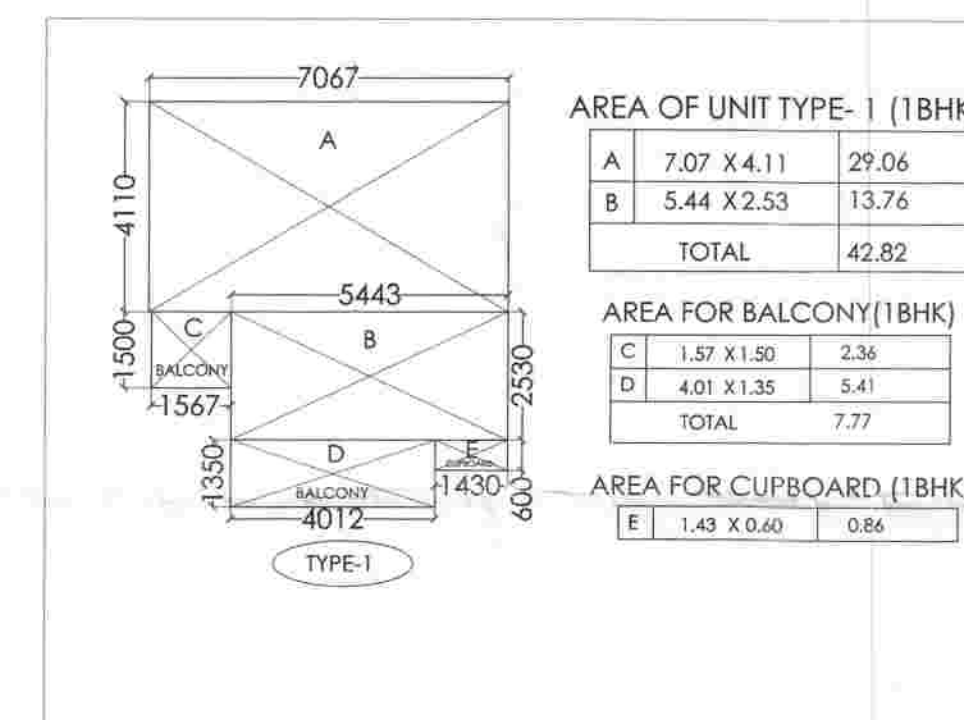
In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 11-4-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 5107/17 Dt. 01-9-17

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

ation Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE



वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner


Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634
Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

TOWER HENNA & JASMINE AREA CALCULATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

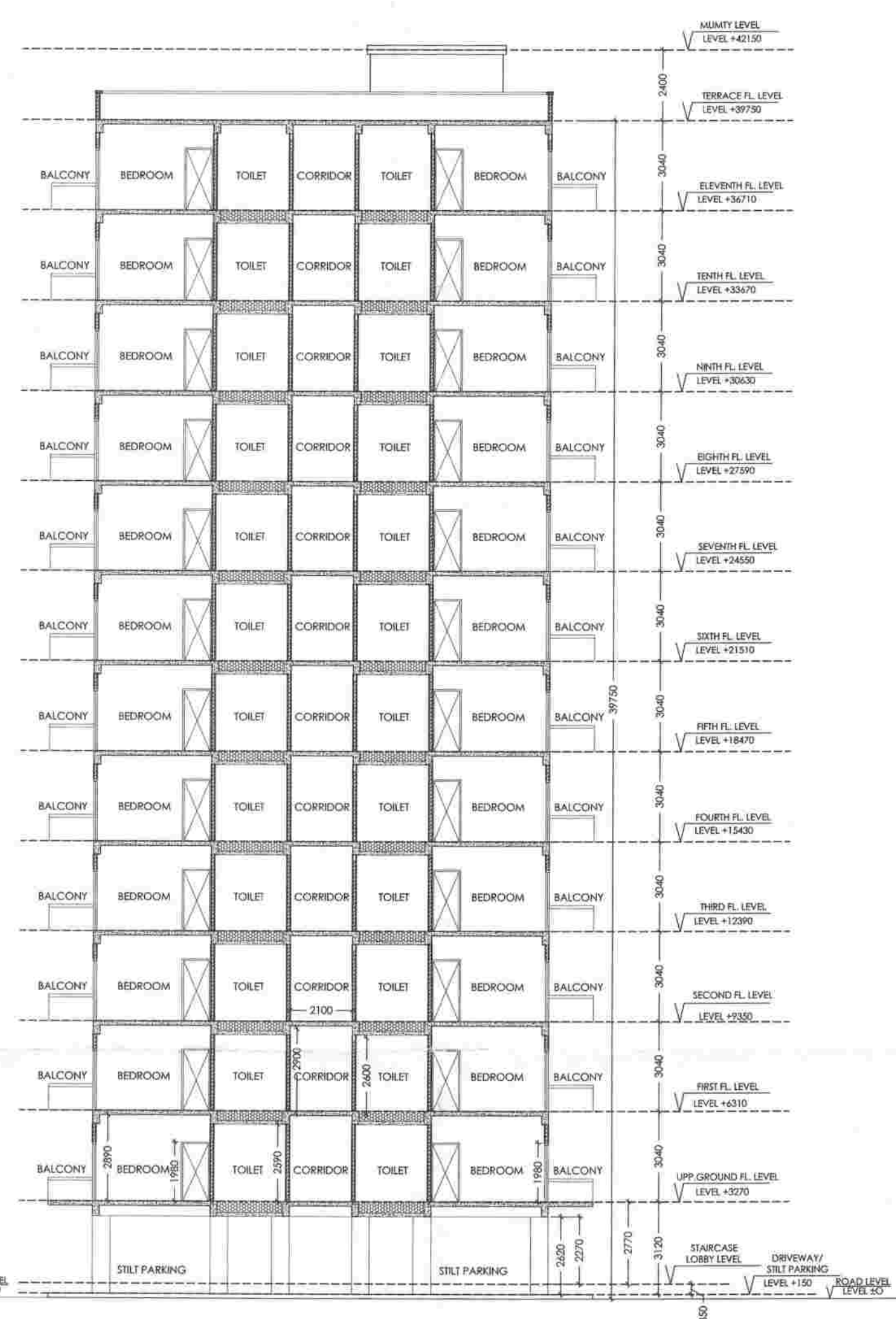
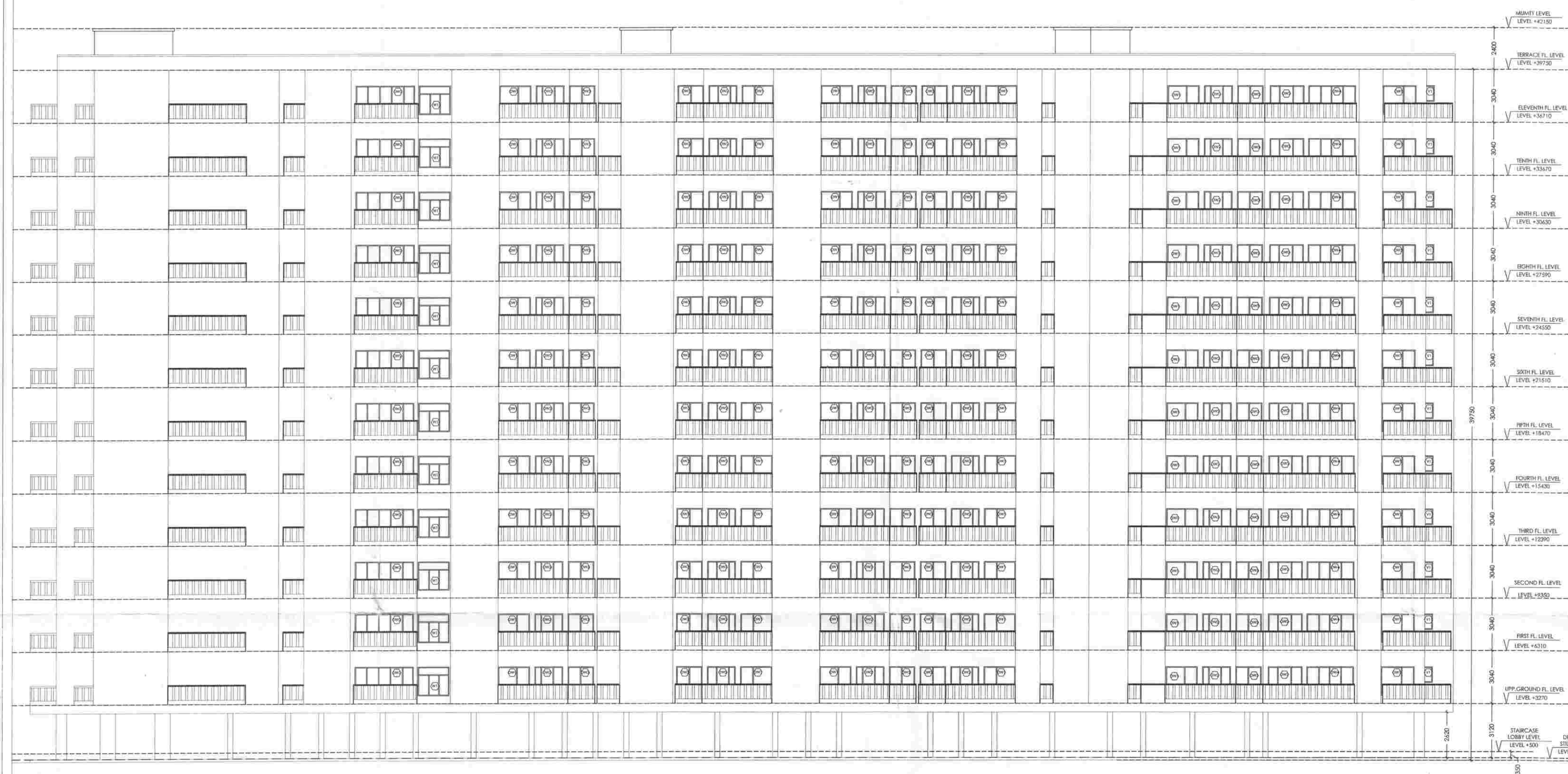
DATE :	15-07-2017
--------	------------

PROJECT NO.:

231

NORTH :





LEFT ELEVATION

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्लान संशोधन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन कित्ती भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वास्थित का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे कित्ती के स्वास्थित सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शक्ति आदि सेवाओं में नेशनल बिडिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिनियम दिनांक 14.09.2006 की धारा में राज्य सरकार के अधिनियम दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "एम्बरिंग प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

वेड लगाओ-हार्डवाली बड़ोओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UT's Property

"जहाँ कित्ती गये अनुमोदित मान-चित्र में दाखिल गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का स्थापित बाकी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 14.07.17 -
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 3410/177-14-17

सहायक नगर विकास अधिकारी
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)

SECTION AA'

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/9721634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWER HENNA & JASMINE
SECTION & ELEVATION**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

21
OF
34

DATE :

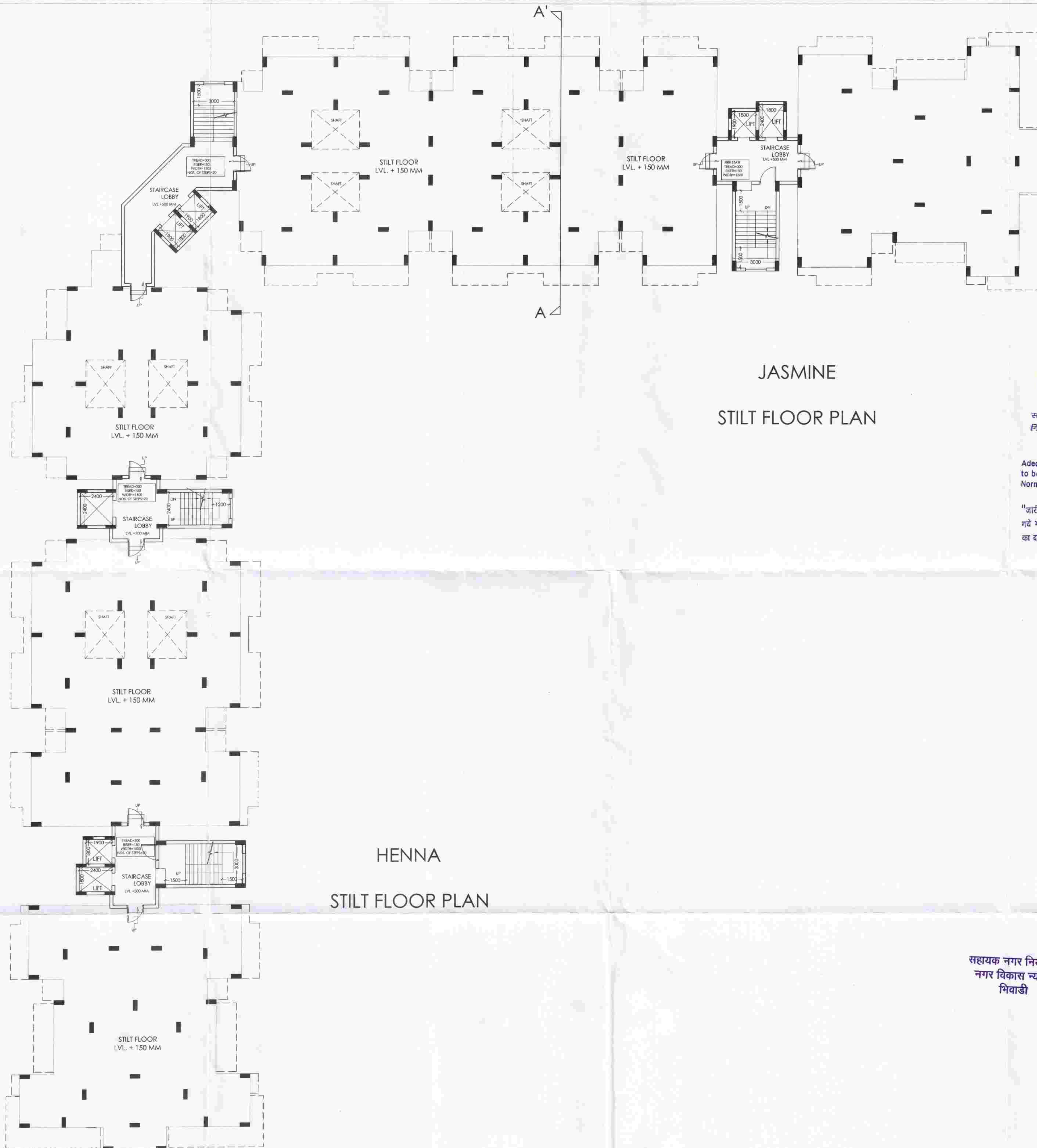
15-07-2017

PROJECT NO.:

231

NORTH :





DWELLING UNIT CALCULATION						
NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
HENNA-JASMINE	24	4	0	28	12	336

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, बिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 3.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्वया न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, बिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग स्वयंसेवकों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्वया न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

साँर ऊँचाई से पानी गिराने करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में द्वाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाँति प्रशस्तिगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इसका किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शयन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित भागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अप्रिसून दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के पत्रिचित्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 200400 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "प्लानिफर प्रमाण पत्र" अनापूर्ति प्रमाण पत्र आवेकक द्वारा प्राप्त किया जल्ता अनिवार्य होगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ोओ

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

OPENING SCHEDULE				
S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
बिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
बिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97121634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWER HENNA & JASMINE
STILT FLOOR PLAN**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

18
OF
34

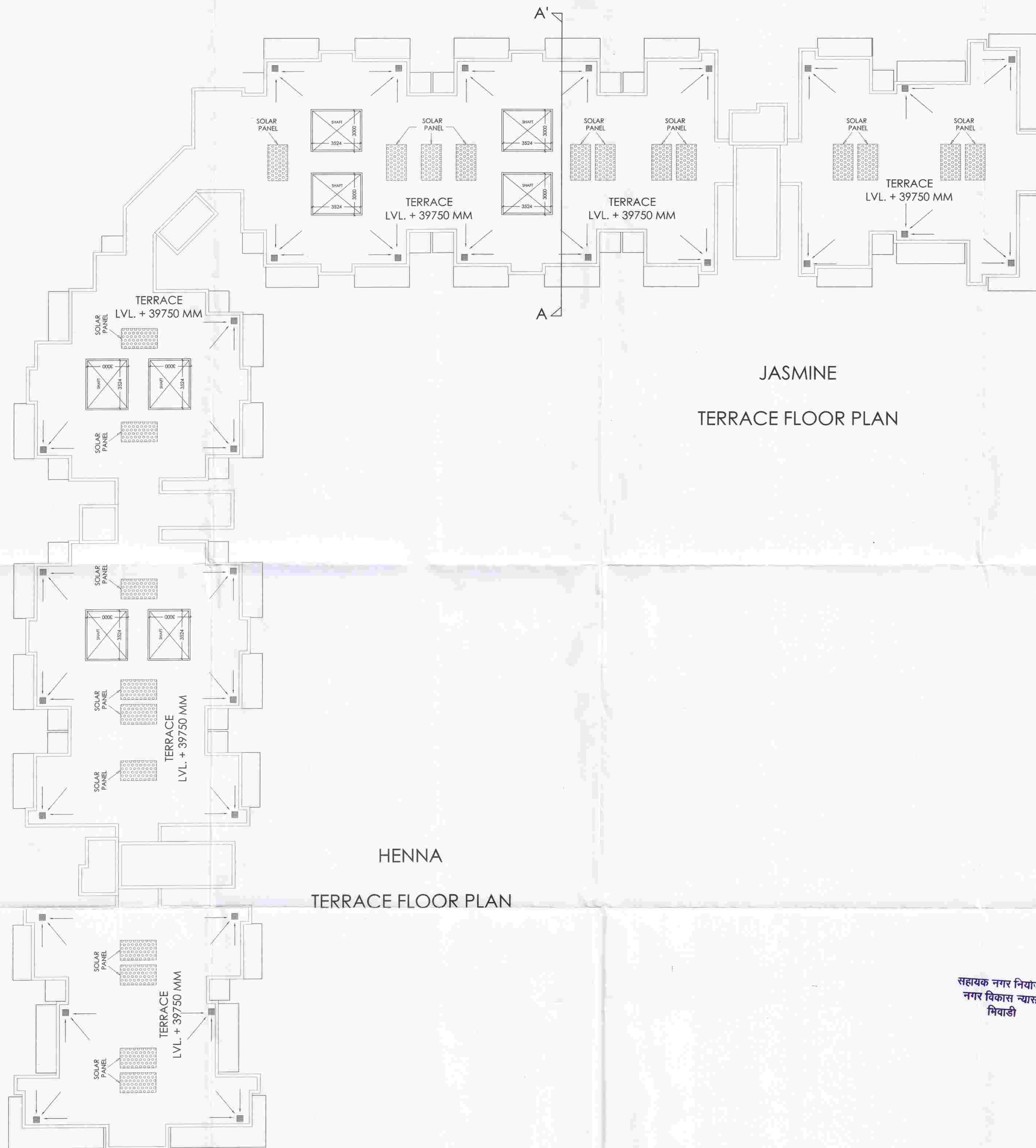
DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

231

NORTH :



JASMINE
TERRACE FLOOR PLAN

HENNA
TERRACE FLOOR PLAN

DWELLING UNIT CALCULATION					
NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR
	1BHK	2BHK	3BHK		
HENNA-JASMINE	24	4	0	28	12
				336	

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वसूजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्यथा न० सि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को लेंथें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० सि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

हल मानचित्र का अनुमोदन किली भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वाभिव्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही उपर किली के स्वाभिव्य सम्बन्धी आदेशवादी ही प्रमाणित होगी।

पड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

"जारी किले गये अनुमोदित मान-चित्रों में काले गये भवन निर्माण की तस्वीर (STRUCTURE) का दायित्व धार्या का ही होगा।"

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2011 की धारा 12 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण, प्राण वन" अपापति प्रमाण पत्र आवेक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सार ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Parking Area Will Be UTI's Property

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

OPENING SCHEDULE				
S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 01-04-17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 3410/11/17 Dt. 01-04-17

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :
**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :
**TOWER HENNA & JASMINE
TERRACE FLOOR PLAN**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS
AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029 , Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

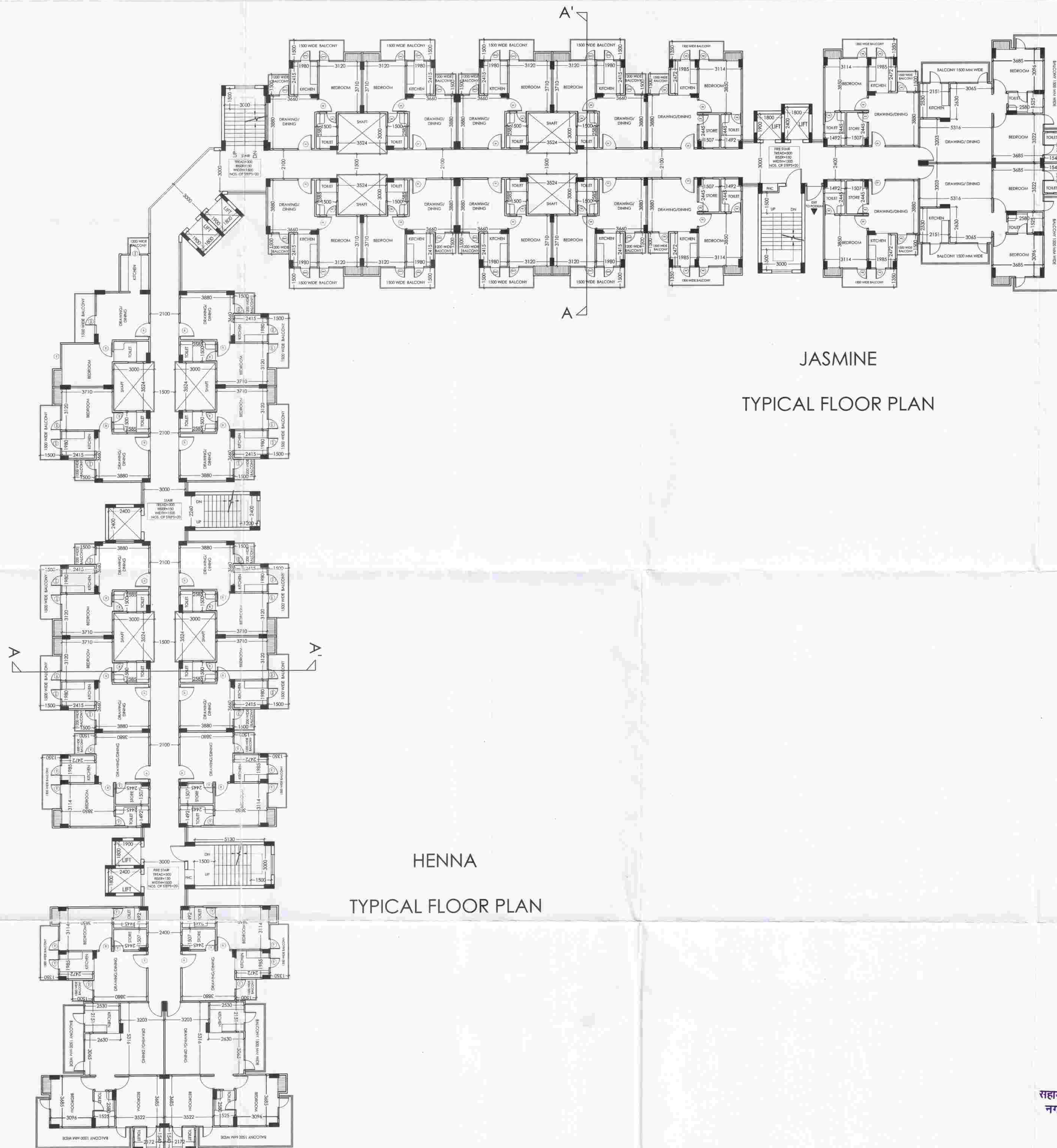
SHEET NO :
20
OF
34

DATE :
15-07-2017
PROJECT NO.:
231

NORTH :

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
मिवाडी (अलवर)



DWELLING UNIT CALCULATION						
NO. TOWER	NO. OF DU./FLOOR			TOTAL NO. OF DU./FLOOR	NO. OF FLOOR	TOTAL DU. IN TOWER
	1BHK	2BHK	3BHK			
HENNA-JASMINE	24	4	0	28	12	336

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार बर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशस्तत भूमि/भूजण्ड के प्राति स्वाभिव्य का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे कितनी के स्वाभिव्य सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवाये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "परवर्तित प्रमाण पत्र" अनापति प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 14.04.17
One Set of Building Plans
Approved is issued Along-With
Letter No. 5410/11/17 1-4-17

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण को संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

OPENING SCHEDULE

S.NO	TYPE	SIZE	SILL LVL.	LINTEL
1	D	1050	00	2100
2	D1	975	00	2100
3	D2	900	00	2100
4	D3	750	00	2100
5	DW	2020	1100	2400
6	DW1	2700	450	2400
7	DW2	2215	450	2400
8	DW3	1725	450	2400
9	DW4	1565	450	2100
10	DW5	1610	1100	2100
11	DW6	1805	450	2100
12	V1	450	1650	2100

For Shilpkar Housing Private Limited

Signature of Owner

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWER HENNA & JASMINE
TYPICAL FLOOR PLAN**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,

NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136

E-Mail : info@aestudio.in , Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

19
OF
34

DATE :

15-07-2017

PROJECT NO.:

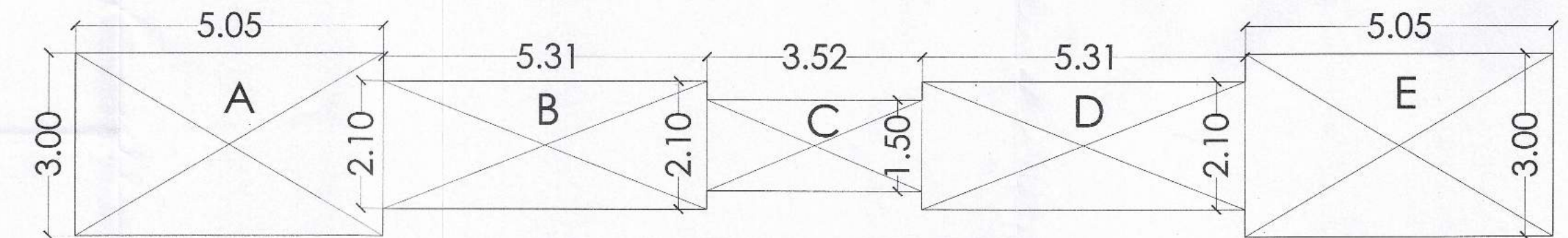
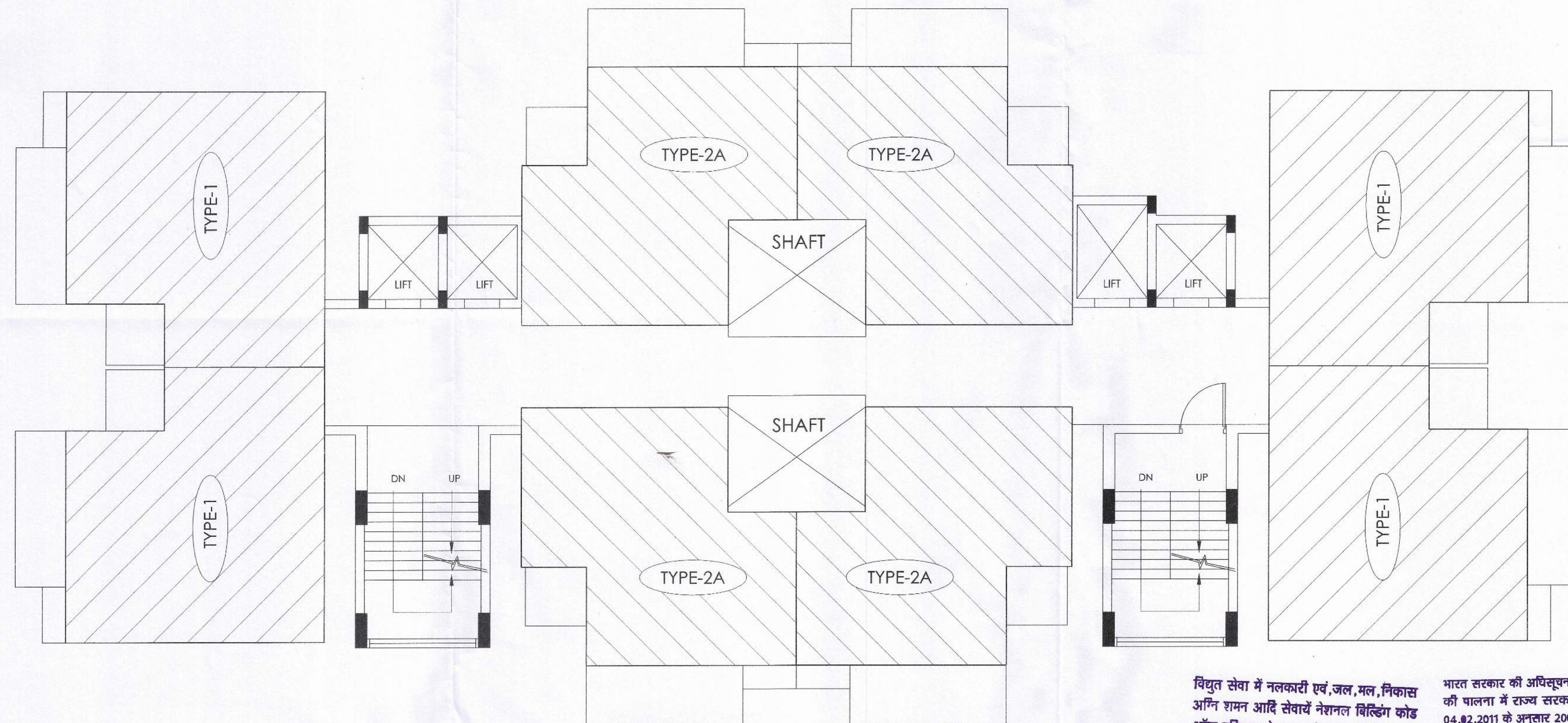
231

NORTH :



सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)



अनुमोदित

AREA OF CORRIDOR PER FLOOR

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्णजल संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवेदनानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवेदनानुसार कार्यवाही की जावेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशासनिक भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

AREA OF CORRIDOR PER FLOOR

A	5.05 X 3.00	15.15
B	5.31 X 2.10	11.15
C	3.52 X 1.50	5.28
D	5.31 X 2.10	11.15
E	5.05 X 3.00	15.15
TOTAL		57.88

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 01-04-17
One Set of Building Plans
Approved is issued Along-With
Letter No. 51107/17 Dt. 01-04-17

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, मल, विकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल सिविलिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध निवेदनानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का निवेदनानुसार प्रावधान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

"जहाँ कबले गये अनुमोदित मान-चित्रों में स्थापित गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

TOWER PLAN

AREA PER FLOOR OF TOWER- K (UPP. GR. Floor - 11th Floor)

1. AREA PER FLOOR (P) = 4 X AREA OF UNIT TYPE -2A(1BHK) + 4 X AREA OF UNIT TYPE -1(1BHK)
AREA PER FLOOR (P) = 4 X 37.93 + 4 X 42.78
TOTAL FAR.AREA PER FLOOR = 322.84 SQ M.
TOTAL FAR. AREA = 322.84 X 12 FLOOR = 3874.08 SQ M.
TOTAL FAR. AREA = F.A.R. AREA OF TOWER + EXCESS CORRIDOR AREA
= 3874.08 + 113.45 = 3987.53 SQ M.

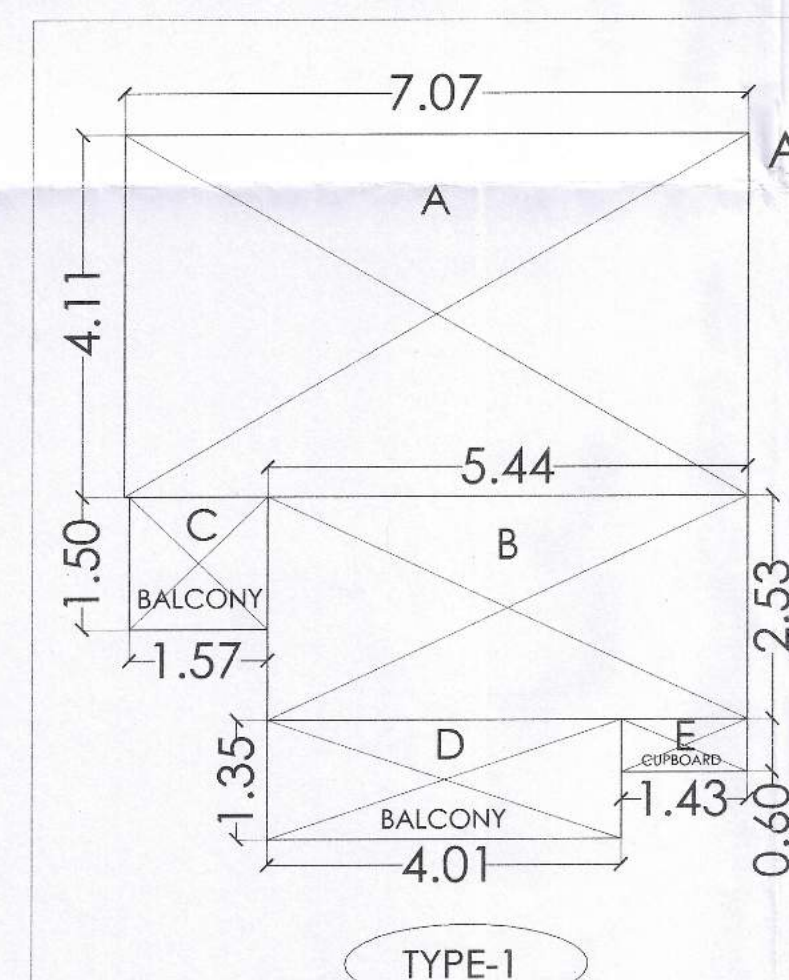
3 AREA OF CORRIDOR PER FLOOR (P) = 57.88 SQ M.
TOTAL CORRIDOR AREA = 694.56 SQ M.
RESIDENTIAL CORRIDOR AREA ALLOWED FREE FROM FAR = 15% OF RESIDENTIAL FAR. (3874.08X0.15) = 581.11 SQ M.
EXCESS CORRIDOR AREA TO BE COUNTED IN FAR = 694.56 - 581.11 = 113.45 SQ M.

4 AREA OF BALCONY PER FLOOR (R) = 4 X 8.38 + 4 X 7.77 = 64.60 SQ M.

5 AREA OF CUPBOARD PER FLOOR (S) = 4 X 0.82 + 4 X 0.86 = 6.72 SQ M.

5 TOTAL BUA. PER FLOOR = 322.84 + 57.88 + 64.60 + 6.72 = 452.04 SQ M.

7 TOTAL B.U. AREA = 452.04 X 12 FLOOR = 5424.48 SQ M.



AREA OF UNIT TYPE- 1 (1BHK)

A	7.06 X 4.11	29.02
B	5.44 X 2.53	13.76
TOTAL		42.78

AREA FOR BALCONY(1BHK)

C	1.57 X 1.50	2.36
D	4.01 X 1.35	5.41
TOTAL		7.77

AREA FOR CUPBOARD (1BHK)

E	1.43 X 0.60	0.86
---	-------------	------

AREA OF UNIT TYPE- 2A (1BHK)

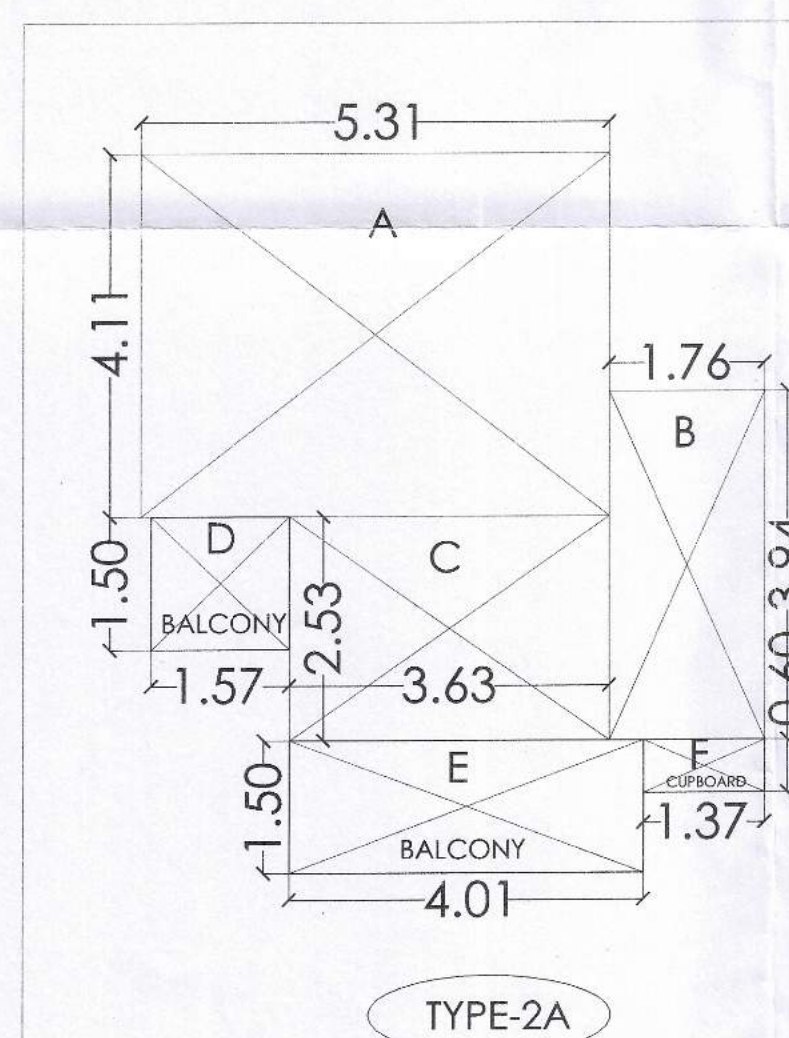
A	5.31 X 4.11	21.82
B	1.76 X 3.94	6.93
C	3.63 X 2.53	9.18
TOTAL		37.93

AREA FOR BALCONY (1BHK)

D	1.57 X 1.50	2.36
E	4.01 X 1.50	6.02
TOTAL		8.38

AREA FOR CUPBOARD (1BHK)

F	1.37 X 0.60	0.82
---	-------------	------



SERVICED APARTMENT

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

For Shilpkar Housing Private Limited

Sandeep Tandon
Architect
CA/97/21634

Signature of Owner

Signature of Architect

ADDRESS :

**PROPOSED GROUP HOUSING FOR
M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD**
AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217,
218, 225 AT VILLAGE - THADA
TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

SHEET TITLE :

**TOWER KEY FLOOR
AREA CALCULATION**

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

an architectural design studio

B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web.: www.aestudio.in

SHEET NO :

DATE :

NORTH :

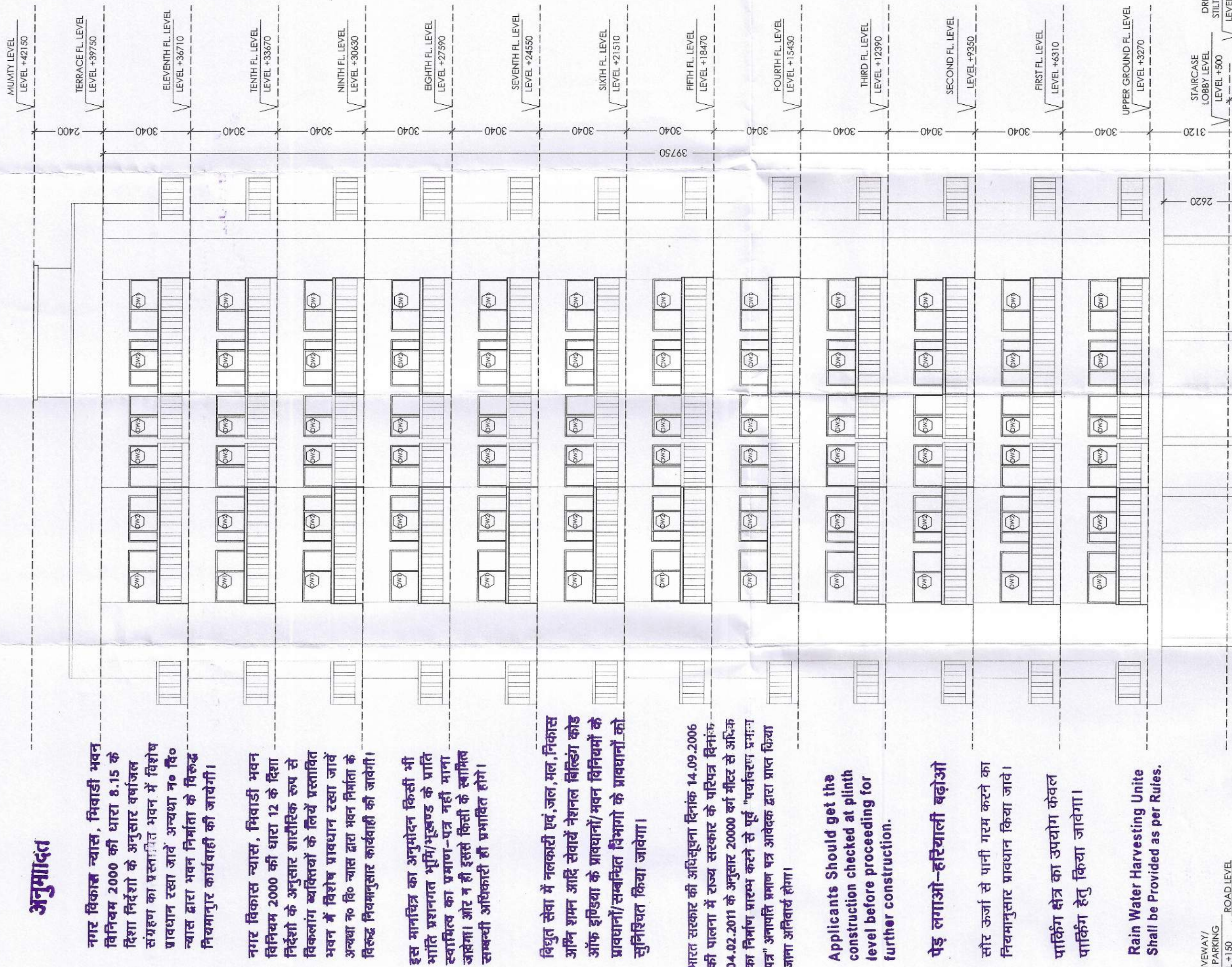
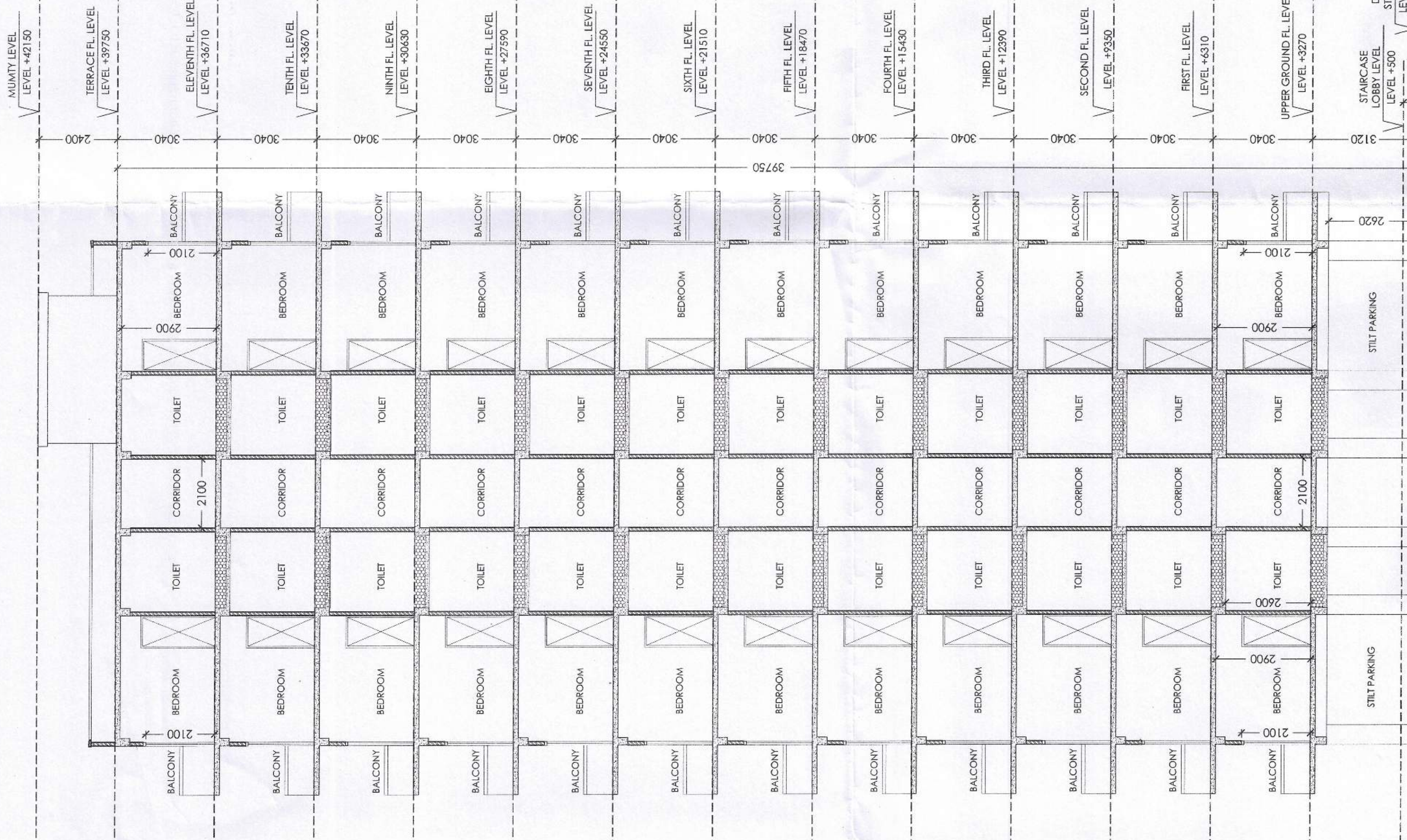
25
OF
34

15-07-2017

PROJECT NO.:

231





अनुमति

नगर विकास ब्यास, सिवाडी भवन विनिर्देश 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार क्वाड्रल संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्राधान्य रखा जाये अथवा 8.10 चालू द्वारा भवन निर्माण के विवेक नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास ब्यास, सिवाडी भवन विनिर्देश 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्राधान्य रखा जाये अथवा 8.10 चालू द्वारा भवन निर्माण के विवेक नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस अनुमति का उपयोग किसी भी भूतल पर निर्माण कार्य/संरचना के प्रति दस्तावेज का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और यह भी इसके किसी भी संश्लेष सम्बंधी अधिकारी की प्रामाणिक होगी।

विद्युत सेवा में नुकदाई एवं जल मूल विकास आदि समान आदि सेवाएँ स्थल विद्युत कोड और इलेक्ट्रिक के प्रावधानों/भवन विनिर्देशों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा 1 में राज्य सरकार के पश्चिम दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 'प्लंबिंग प्रमाण पत्र' अनिवार्य प्रमाण पत्र अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पेक्षे लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

SECTION AA'

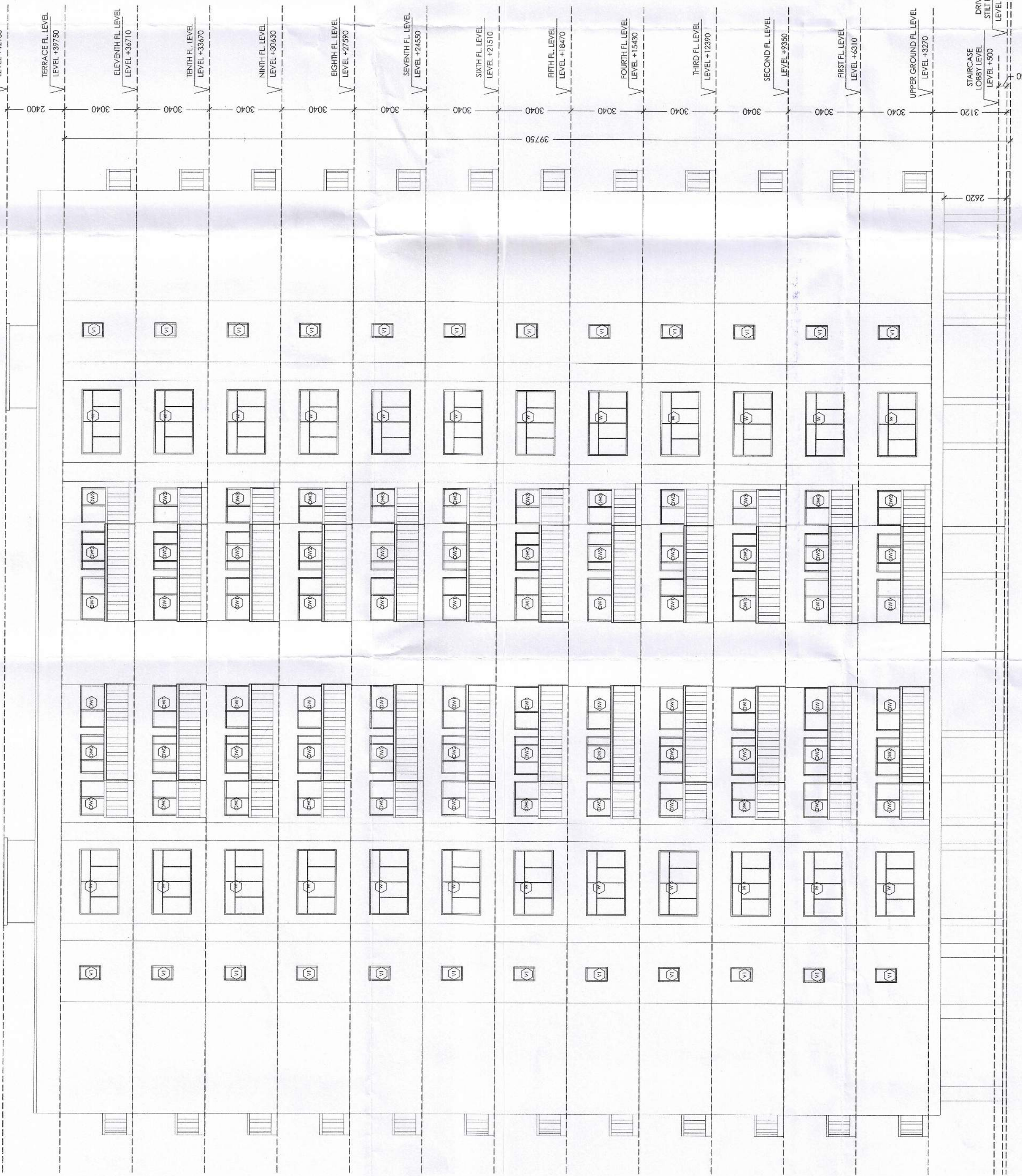
RIGHT ELEVATION

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमति पत्र-चित्र में द्वाये गये भवन निर्माण की संवेदन (STRUCTURE) का दायित्व धारण का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per M.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property



In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Decision-4/17- One Set of Building Plans Approved is Issued Along With Letter No. 5418/173-1-3-19

सहायक नगर नियाजक नगर विकास ब्यास, सिवाडी

वरिष्ठ नगर नियाजक नगर विकास ब्यास, सिवाडी (अलवर)

SERVICED APARTMENT

For Shilpkar Housing Private Limited
Signature of Owner
Signature of Architect
Sandeep Tandon
Architect
CA/9721634
Signature of Architect

PROPOSED GROUP HOUSING FOR M/s SHILPKAR HOUSING PVT. LTD AT KHASRA NO. 302,304,214, 215,216,217, 218, 225 AT VILLAGE - THADA TEHSIL - TIJARA, DISTT. ALWAR (RAJ.)

TOWER KEY FLOWER SECTION & ELEVATION

ARCHITECTS AND CONSULTANTS
AE STUDIO
an architectural design studio
B4/225, SAFDURJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029, Ph.- 011 26161136
E-Mail : info@aestudio.in, Web : www.aestudio.in

FRONT ELEVATION

SHEET NO : 27 OF 34
DATE : 15-07-2017
PROJECT NO : 231
NORTH :